भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

उच्च शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और एनईपी, 2020 सुधारों का कार्यान्वयन

†2. **डॉ. हेमांग जोशी:**
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री शंकर लालवानी:
श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री हरिभाई पटेल:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रत्यायन, अनुसंधान संवर्धन और बहु-विषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में कौशल विकास और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को समेकित करने में क्या प्रगति हुई है; और
(ग) सरकार द्वारा सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार लाने, वंचित वर्गों के लिए पहुंच में समानता और भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मुख्य रूप से गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अनुसंधान और नवाचार, तथा बहु-विषयात्मक शिक्षा पर ज़ोर दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए संस्थानों को 'राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद' (एनएएसी) से मान्यता का लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही प्रत्यायन की सीमा को बढ़ाने और प्रत्यायन से जुड़ी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। एनएएसी शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया, अनुसंधान, अवसंरचना, सुशासन और संस्थान के बेहतरीन तौर-तरीकों जैसे कई मानकों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर मान्यता ग्रेड प्रदान करता है। प्रत्यायन की प्रक्रिया गुणवत्ता आश्वासन, जवाबदेही, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है और उच्चतर शिक्षा में संस्थागत उत्कृष्टता और लगातार सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना की है जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अनुसंधान क्षमता का दोहन करने, अकादमिक अनुसंधान में सहायता करने और उभरती प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रूपांतरण संबंधी अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। एएनआरएफ का लक्ष्य वर्ष 2023-28 के दौरान 50,000 करोड़ रुपये जुटाना है जिसमें केंद्र सरकार से 14,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, शेष सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र, परोपकार और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से एएनआरएफ निधि, नवाचार निधि और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष जैसे विभिन्न निधियों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति (पीएमआरएफ), अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी), इम्प्रिंट, उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) और इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (आईओई) जैसी अन्य पहलें शिक्षाविदों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच अनुसंधान क्षमता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देती हैं।

अनुसंधान और नवाचार पर एनईपी के द्वारा दिये गए केन्द्रित ध्यान से वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग को 2020 में 48 से बढ़ गया है और वर्तमान में 2025 में 38 वें स्थान पर है।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप बहु-विषयक और लोचशील उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु-प्रवेश और निकास के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से लोचशील शिक्षण मार्गों और शैक्षणिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने और नवाचार एवं अंतरविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (एमराइटईआईटी) योजना को भी कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण शुरू किया है जिसमें आरयूएसए के पहले चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं ताकि शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पीएम-उषा के बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) घटक के तहत, 35 विश्वविद्यालयों में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए अनुमोदन दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में रोजगार क्षमता, उद्यमिता और आजीवन अधिगम के संवर्धन के लिए मुख्यधारा की उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ अनुकूलित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क अकादमिक, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा में ऋण संचय और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है जबकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता में सहायता करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम (आईईडीपी) के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिससे स्नातक छात्रों को उनके डिग्री कार्यक्रमों के साथ एकीकृत संरचित इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कौशल विकास को तकनीकी शिक्षा में शामिल करके सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रहा है। यह उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी करता है ताकि नियमित पाठ्यक्रम के साथ ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रमों की प्रस्तुत किया जा सके जिसमें साथ ही कौशल-केंद्रित कार्यक्रम, अनिवार्य इंटर्नशिप और बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक) जैसी व्यावसायिक डिग्री भी शामिल है। इन पहलों को छात्रों की व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करने और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन सहित इंटर्नशिप, कौशल-निर्माण और संकाय संवर्धन में सहायता करने के लिए प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पाठ्यक्रम में रोजगार कौशल मॉड्यूल को नौकरी की भूमिकाओं/स्वयम पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है जिसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

कौशल विकास में सहायता करने के लिए स्वयम प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है जो कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में 17 क्षेत्रों में 92 उद्योग भागीदारों से 521 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं और एआई, डेटा

विश्लेषक आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब तक, 6,00,000 से अधिक छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटती है। यह योजना अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) के माध्यम से उद्योग-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप में सहायता करती है, और एनएटीएस मूल्यांकन और क्रेडिटाइजेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से अकादमिक क्रेडिट एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 12.94 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। दिनांक 30.07.2024 को शुरू किए गए एनएटीएस 2.0 पोर्टल ने 11,355 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों और 15,840 से अधिक प्रतिष्ठानों की भागीदारी को सक्षम बनाकर अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी को और मजबूत किया है।

(ग): सरकार ने उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ और अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं को लागू करना; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गुणवत्ता मानकों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले एचईआई (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) की अनुमति देना; उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बहुत आवश्यक लोचशीलता और उचित निकास के साथ-साथ प्रवेश के विकल्प प्रदान करना ताकि छात्रों को अपने अधिगम के माध्यम को चुनने की सुविधा प्रदान करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन की अनुमति देना एक शैक्षणिक वर्ष में दो प्रवेश चक्रों के लिए एचईआई की अनुमति देना; स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों के लिए कभी भी, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना जो कई विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना; और 13 भाषाओं में जेईई, नीट (यूजी) और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) परीक्षाएं आयोजित करना, और विशेष रूप से स्थानीय / ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। इन पहलों के परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2023-24 में बढ़कर 30.0% हो गया है।

वंचित समूहों के लिए पहुंच में समानता प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार हाशिए पर रहने वाले वर्गों के छात्रों की सहायता करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाएं कार्यान्वित करती है। उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना कार्यान्वित करता है जिसके तहत अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों सहित भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण तक पहुंच की सुविधा के लिए नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भी केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है - अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों (उच्च श्रेणी) के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति कार्यान्वित की जाती है और दूतावासों के माध्यम से विदेश में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निधियां जारी की जाती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को निधियों की प्रतिपूर्ति करता है।

शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एफएचईआई) की स्थापना को सक्षम बनाया है। भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के एफएचईआई को 16 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से, यूके के साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने अगस्त, 2025 में हरियाणा के गुरुग्राम में अपने परिसर में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) विनियम 2022 के तहत, यूके, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी आयरलैंड के 5 विश्वविद्यालयों को गिफ्ट सिटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात में अपतटीय शाखा परिसरों के संचालन के लिए अनुमोदन दिया गया है। इन 5 विश्वविद्यालयों में से, ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने जुलाई, 2024 और ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने नवंबर, 2024 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए। इसके अतिरिक्त, भारतीय संस्थान अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली, दुबई में आईआईएम अहमदाबाद और तंजानिया में आईआईटी मद्रास के परिसर साथ वैश्विक उपस्थिति भी स्थापित कर रहे हैं। ये कदम भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य में सहायता करते हैं।

भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सितंबर 2022 में 'भारत में एचईआई में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश' जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग) विनियम, 2021 भी जारी किया है जिसमें छात्रों को भारतीय और विदेशी दोनों विश्वविद्यालयों से अपने

कार्यक्रमों के कुछ हिस्सों को करने की अनुमति दी गई है जिससे अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों की गतिशीलता भी सुनिश्चित होती है।
